

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 22/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/37

1. परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प्रा. बीकानेर भारत सरकार सादुलगंज, बीकानेर।

— अपीलान्त

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी जुगल किशोर
2. नेमचंद पुत्र सुरजाराम
3. जुगल किशोर पुत्र नेमचंद
4. मदनमोहन पुत्र सुशील कुमार दम्माणी निवासी भाटोलाई तलाई के पास, नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत नाल बड़ी, बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

जाति माली निवासीगण हरियाणा होटल  
के सामने, जी.एस.रोड, बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स



उपस्थित: श्री रामावतार बूरी  
श्री विजय भादाणी

अभिभाषक अपीलांत  
अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक 10.12.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 11.02.2017 एवं सरपंच ग्राम पंचायत नालबड़ी नामांतरकरण संख्या 756 दिनांक 03.09.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- ग्राम नाल छोटी के खसरा नंबर 324/1 रकबा 1.03 हैक्टेयर भूमि रेस्पोंडेन्ट सं. 4 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि थी। रेस्पोंडेन्ट सं. 4 ने उक्त भूमि में से 1631 वर्गमीटर भूमि का जिला कलक्टर बीकानेर से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया। तत्पश्चात् तहसीलदार बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 09.04.2009 को स्वीकृत हो गया, जिसमें पटवारी हल्का नं. 12 व 14 में व्यवसायिक की जगह गैर मुमकिन औद्योगिक अंकित कर दिया। उक्त संपरिवर्तित भूमि को रेस्पोंडेन्ट सं. 4 ने

न्यायालय संभागीय आयुक्त  
बीकानेर



जारी विक्रय पत्र रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 3 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरण संख्या 756 खरीददारों के नाम दर्ज हो गये। पटवाश हल्का द्वारा इन इन्तकालों में भी कॉलम सं. 12 व 14 में व्यवसायिक की जगह गैर मुमकिन औद्योगिक अंकित कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 562 के विरुद्ध रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कॉलम सं. 12 व 14 में गैर मुमकिन औद्योगिक संपरिवर्तन को निरस्त कर कॉलम सं. 12 व 14 में व्यवसायिक अंकित करने एवं इसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन एवं इंतकालों में सशोधन करने का बाबत अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित करते हुए रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2- अभिभाषक अपीलांत ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांत को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांत अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांत को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित करने से पूर्व न तो अपीलांत को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न ही कोई नोटिस दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पारित करने से पूर्व भूमि भारत के राजपत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी की जा चुकी थी। वादगत भूमि ग्राम नाल छोटी के ख.नं. 324/1 तादादी 1631 वर्गमीटर भूमि का नामान्तरण सं. 562 दिनांक 09.04.2009 को तहसीलदार बीकानेर द्वारा स्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 जारी होने से पूर्व भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की धारा 3 ए का प्रकाशन दिनांक 02.07.2014 एवं धारा 3 डी में प्रकाशन दिनांक 17.06.2015 को प्रकाशन किया जा चुका था। तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 3'जी' के अंतर्गत अवार्ड भी प्रसारित किया जा चुका था, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की

संभागीय अधिकारी  
बीकानेर

धारा 3ए' प्रकाशन दिनांक 27.14 धारा 3 डी में दिनांक 17.06.2015 भूमि का वर्गीकरण कमरा बरानी व बरानी अंकित हुआ था, जिस पर आक्षेप आमंत्रित किये थे। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 ने उक्त आक्षेप आमंत्रण में अधिसूचना के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में आक्षेप दिया था कि उसकी भूमि की किस्म बरानी न होकर गैर मुमकिन औद्योगिक है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स के आरोप को स्वीकार करते हुए वादगत भूमि को बरानी की बजाय औद्योगिक मानकर मुआवजे का निर्धारण किया जो कि नियमानुसार है। इसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया, जो कि गलत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 निरस्त कर तथा नामान्तरण संख्या 756 पर अंकित नोट दिनांक 16.03.2017, जिसके द्वारा औद्योगिक से व्यवसायिक अंकित किया, को हटाये जाने का आदेश प्रदान करें।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 लोक अदालत की हैसियत से पारित किया गया है। लोक अदालत अधिनियम की धारा 21 व 22 में यह प्रावधित किया गया है कि लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनियम अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं होगी। अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस के संबंध में आर.आर.डी. 2020 पेज 190 का उल्लेख किया हैं। अतः प्रारंभिक आपत्ति पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांत खारिज की जाकर प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार की जावे।

5- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख व अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने लोक अदालत के तहत अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित करते हुए रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 ने अपील अपीलांत को मंटेनेबल नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने की प्रारंभिक आपत्ति पेश की हैं। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील में पक्षकार ही नहीं थे। अपीलांत वादगत भूमि का हितबद्ध पक्षकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, इस प्रकार लोक अदालत का निर्णय अपीलांत



अभिभाषक  
बीकानेर



पर लागू नहीं होता। मूल इंतकाल संख्या 562 दिनांक 09.04.2009 को स्वीकृत हुआ, जिसमें गै.मु. औद्योगिक दर्ज था। अपीलांट द्वारा वर्ष 2015 में वादगत भूमि का वर्गीकरण करते हुए आक्षेप आमंत्रित किये गये थे। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 ने उक्त आक्षेप आमंत्रण में अधिसूचना के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष आक्षेप दिया कि वादगत भूमि की किरम बारानी न होकर गै.मु. औद्योगिक है, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 21.03.2016 द्वारा भूमि को औद्योगिक मानते हुए मुआवजें का निर्धारण कर दिया। अपीलांट द्वारा भूमि अवाप्ति की समस्त प्रक्रिया किये जाने के पश्चात् रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 ने अपीलाधीन भूमि को गै.मु. औद्योगिक से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही करवायी, जो पश्चातवर्ती विशेष प्रयोजनार्थ की जाने वाली कार्यवाही उक्त संपरिवर्तित भूमि को रेस्पोंडेन्ट सं. 4 ने जरिये विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 को विक्रय कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 756 खरीददारों के नाम दर्ज हो गये। पटवारी हल्का द्वारा इन इन्तकालों में भी कॉलम सं. 12 व 14 में व्यवसायिक की जगह गैर मुमकिन औद्योगिक अंकित कर दिया। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति दिनांक 04.11.2024 खारिज की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 व तहसीलदार बीकानेर द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 756 दिनांक 03.09.2011 निरस्त किया जाता है।

6- तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/12/24  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर